सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 467/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 30 अक्टूबर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना बरदह

वैध 5490 पौवे प्रत्येक की धारिता 200 ML (उ0प्र0 में विक्री के लिए), 15 पौवे अवैध नकली शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.10.2020 को समय 17.00 बजे मनोज कुमार यादव आबकारी निरीक्षण क्षेत्र -4 फूलपुर मय हमराह पंकज कुमार सिंह प्र0आ0सिं0, बालेन्द्र राय प्र0आ0सि0 मय सरकारी वाहन बोलेरो संख्या UP70AG1047 मय चालक अनिल कुमार सिंह के साथ अवैध शराब की सुरागरसी में मामूर होकर बड़गहन तिराहा पहुँचे कि मुखबिर खास ने सूचना दी की देशी शराब की बेलहरी पर अभी अभी नकली देशी शराब बाहर से आयी है, जिसे विक्रेता द्वारा बेचा जा रहा है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर उम्मीद बरामदगी व गिरफ्तारी दुकान पर पहुँचे। दूर से ही सरकारी वाहन देखकर एक व्यक्ति दुकान से बाहर भागा जिसे हम लोगों ने पीछा करके पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम दुर्गा प्रसाद पुत्र जीत नरायण जायसवाल नि0 अनौनी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर बताया। दौरान तलाशी देशी शराब की 122 पेटी (प्रत्येक पेटी में 45 पौवे) पाया गया। रैण्डम आधार पर पौवों पर चस्पा क्यू0 आर0 कोड स्कैन करने पर वैध पाये गये। चौकी के नीचे अलग से 15 पौवे एवं एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल में दो ली अवैध अपमिश्रित शराब मिली जिसकी उपलब्ध संसाधनों से स्कैनिंग करने पर कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। विक्रेता दुर्गाप्रसाद से दुकान सम्बन्धी अभिलेख मांगने पर कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर विक्रेता ने बताया की दुकान के मालिक द्वारा भेजवाया जाता है, जिसकी विक्री मैं कर रहा हूँ। देशी शराब दुकान बेलहरी के अनुज्ञापी मालिक भगवान पुत्र सुरेश नि0 मिर्जापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर है। इस से स्पष्ट हो गया कि दुकान में पाये गये वैध 5490 पौवों के अतिरिक्त 15 पौवें नकली शराब जिस पर लगे रैपर पर विण्डीज लाइम, देशी शराब तीव्र मसालेदार उत्पादक रेडिको खेतान लि0 ह0 अभि0 दुर्गाप्रसाद बरेली रोड़, रामपुर उ0प्र0 अंकित पाया गया।

उक्त के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 254/20 धारा 420,467,468 भादवि, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम,धारा 63 कापी राइट एक्ट बनाम 1. दुर्गा प्रसाद पुत्र जीत नरायण जायसवाल नि0 अनौनी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर 2. भगवान पुत्र सुरेश निवासी मिर्जापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर (अनुज्ञापी) पंजीकृत किया गया।

बरामदगी –

वैध 5490 पौवे प्रत्येक की धारिता 200 ML (उ0प्र0 में विक्री के लिए) 15 पौवे अवैध नकली शराब, 50 खाली पौवों की शीशी, दो लीटर बनी हुई अपमिश्रित शराब

गिरफ्तार अभियुक्त–

1.दुर्गा प्रसाद पुत्र जीत नरायण जायसवाल नि0 अनौनी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 254/20 धारा 420,467,468 भादवि, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम,धारा 63 कापी राइट एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

श्री मनोज कुमार यादव आबकारी निरीक्षक क्षेत्र – 4 फूलपुर जनपद आजमगढ

पंकज कुमार सिंह प्र0आ0सि0,

बालेन्द्र राय प्र0आ0सि0

चालक अनिल कुमार सिंह